



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4810]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2018/अग्रहायण 14, 1940

No. 4810]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2018/AGRAHAYANA 14, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय)

अधिसूचना

भोपाल, 5 अक्टूबर, 2018

का. आ. 6036(अ).—आयकर अधिनियम 1961 की धारा 120 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली, की अधिसूचना सं. 66/2014 फा.सं. 279/विविध/66/2014- एस.ओ. (आई.टी.जे.) दिनांक 13 नवम्बर 2014, जो कि भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) भाग 2 धारा (3) उपधारा (2) सं. एस.ओ. 2907 (ई) दिनांक 13 नवम्बर 2014 में प्रकाशित होना है, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं बोर्ड के पत्र संख्या एफ. 279/ विविध एम. 44/2018 आई.टी.जे. दिनांक 1/10/2018 के सन्दर्भ में, मैं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त म.प्र. एवं छ.ग. निर्देश देता हूँ कि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त जो कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है तथा जिनके मुख्यालय का स्थान कॉलम (3) में दी गई प्रविष्टि में है, कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रकरणों या कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले प्रकरणों से सम्बंधित अपीलों के सम्बन्ध में अपनी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(2) यह आदेश दिनांक 5/10/2018

अनुसूची

क्र.सं.	आयकर अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	व्यक्तियों के प्रकरण या प्रकरणों के प्रकार
1	2	3	4	5
	आयकर आयुक्त (अपील) भोपाल 1	भोपाल	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, भोपाल-1	सभी प्रकरण

			आयकर आयुक्त (टी.डी.एस.) भोपाल	वे सभी प्रकरण जो कि प्रधान आयकर आयुक्त / आयकर आयुक्त भोपाल-1 एवं 2 के क्षेत्राधिकार में आते हैं
			म.प्र. एवं छ.ग. राज्यों के सभी प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त	काले धन के सभी प्रकरण (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्ति) और म.प्र. एवं छ.ग. के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों पर कर अधिनियम 2015 (बी.एम. अधिनियम) का आरोपण

[फा. सं. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (सं.नि.प्रा.)/ म.प्र. एवं छ.ग./ क्षेत्रा./ आ.आ. (अ.) 2018-19]

प्रसन्न कुमार दाश, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त म.प्र. एवं छ.ग.